राजस्व लोक अदालत केम्प भाखरसर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 47 / 2018

RCMS NO.
2018/01287

अपीलाण्ट :– 1 लूणाराम पुत्र गोरखाराम कुम्हार निवासी मेकाणियों की ढाणी

बनाम

रेस्पोडेन्ट :– 1.पुखराज पुत्र गोरखाराम निवासी मेकाणियों की ढाणी
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

दिनांकः–8.06.2018

आदेश

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भाखरसर में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम मेकाणियों की ढाणी के खसरा न0 4073, 4062, 4103 में अपीलाण्ट का नामन्तरकरण संख्या 703, 704 मे दर्ज करते समय अशुद्व नाम बाबू पुत्र गोरखाराम दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार लूणाराम पुत्र गोरखाराम है अतः अपीलाण्ट का सही नाम लूणाराम पुत्र गोरखाराम करने का निवेदन किया है ।

उपस्थित पक्षकारान एवं सरंपच ग्राम पंचायत भाखरसर, के ब्यान अनुसार व लूणाराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड व पटवारी पाटौदी /आरआई पाटौदी/उप तहसीलदार पाटौदी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे बाबू पुत्र गोरखाराम की जगह लूणाराम पुत्र गोरखाराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम बाबू पुत्र गोरखाराम की जगह लूणाराम पुत्र गोरखाराम करने के आदेश जारी दिए जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.......

Scanned by CamScanner